



2026:AHC:50109

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -सी संख्या -9011 वर्ष 2026

राम नरेश पटेल

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : गिरजा शंकर मिश्र, प्रतीक्षा राय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. प्रस्तुत रिट याचिका यह प्रार्थना करते हुए दायर की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील सदर, जिला वाराणसी, और प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् तहसीलदार, तहसील सदर, जिला वाराणसी, को यह निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के दिनांक 12.10.2025 के अभ्यावेदन पर निर्णय लें, जिसकी एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न है।

2. उपर्युक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त आवेदन म्यूटेशन (नामांतरण) के प्रयोजन से प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का उचित उपाय उपलब्ध है, जैसा कि यूपी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अंतर्गत प्रावधानित है।

4. इस मामले को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है, और याचिकाकर्ता को यह अनुमति दी जाती है कि वह यूपी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक उचित आवेदन प्रस्तुत करे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी विधि के अनुसार उस पर निर्णय लेगा।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

11 मार्च, 2026

स्वाति

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।